बिहार सरकार
उद्योग विभाग

समृद्ध बिहार ! (हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय) खुशहाल बिहार !!

मुख्य मंत्री तसर विकास परियोजना

तसर उद्योग (वृक्षारोपण/ कीट बीज उत्पादन,/कीटपालन / सूत उत्पादन) से जुड़े एवं जुड़ने हेतु इच्छुक राज्य निवासियों के लिए

आगे आयें ! **सुनहरा अवसर** लाभ उठायें !!

कार्यान्वयन क्षेत्र –	बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई, गया जिले सहित उत्तरी बिहार के जल जमाव क्षेत्र जहॉ अर्जुन एवं आसन के वृक्षारोपण की संभावना है।
कृषकों के लिए सुविधाएं	
सुविधा किसे मिलेगी? 	*वैसे कृषक जिनके पास न्यूनतम 0.70 हेक्टेयर या उससे अधिक ऊँची जमीन हो और वे तसर पौधारोपण/कीटपालन के लिए इच्छुक हों, को देय सुविधाएं निम्नवत हैं :–* *(I) नर्सरी एवं वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर (1975 पौधा) सहायता राशि – रु0 33944/–* *लाभुक अंशदान– रु0 8519/–* *(II) पौधों के रख–रखाव के लिए प्रति हेक्टेयर,* *प्रथम वर्ष– सहायता राशि रु0 4587/– ,* *लाभुक अंशदान रु0 1786/–* *दूसरा वर्ष – सहायता राशि रु0 6517/–,* *लाभुक अंशदान रु0 2001/–* *(III) अंतर फसल (प्रथम वर्ष मात्र)– प्रति हेक्टेयर* *सहायता राशि रु0 3333/– ,* *लाभुक अंशदान रु0 667/–*

कीटपालकों के लिए सुविधाएं	
सुविधा किसे मिलेगी? 	*वैसे कीटपालक जिनके पास न्यूनतम 0.70 हेक्टेयर या उससे अधिक ऊँची जमीन में तसर पौधा उपलब्ध हों, अथवा इतने ही पौधों पर वनों में उपलब्ध तसर पौधों पर कीटपालन करते हों या इच्छुक हों, को देय सुविधाएं निम्नवत हैं :–* *(I) बीज कीटपालकों को–* *कीटपालन उपकरण क्रय हेतु सहायता राशि रु0 4800/–* *कीटपालन रसायन क्रय हेतु सहायता राशि रु0 500/–* *(II) वाणिज्यिक कीटपालकों को–* *कीटपालन उपकरण क्रय हेतु सहायता राशि रु0 3900/–* *कीटपालन रसायन क्रय हेतु सहायता राशि रु0 500/–*

नोटः– वनों में उपलब्ध तसर खाद्य पौधों पर कीटपालन करने वालों को भी परियोजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए वन विभाग द्वारा पहचान पत्र भी निर्गत किया जाएगा।

तसर कीटबीज उत्पादकों के लिए–	
सुविधा किसे मिलेगी? 	कीट बीज उत्पादन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के इच्छुक स्थानीय शिक्षित युवक, जिन्हें बीजागार भवन के लिए कम–से–कम 500 वर्गफुट अपनी जमीन उपलब्ध हो, तो उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएंगी– बीजागार भवन निर्माण– रु0 *50000/–* *उपकरण–* *रु0 27500/–* *प्रोत्साहन राशि–* *रु0 3000/–* *रसायन –* *रु0 2000/–*

सूत उत्पादकों के लिए–	
सुविधा किसे मिलेगी? 	रिलिंग/स्पीनिंग कार्य करने के 25 इच्छुक व्यक्तियो के एक स्वयं सहायता समूह (SHG) को निम्नांकित सुविधाएं दी जाएंगी 1. वर्कशेड निर्माण –रु0 1000000/– 2 कार्यशील पूँजी– रू0 200000/– 3. प्रशिक्षण लागत– रू0 214215/– 4. वेट रीलिंग मशीन (10 अद्द)– रु0 220000/– 5. सोलर स्पिनिंग मशीन (10 अद्द)– रु0 85000/– 6. स्केयिंग मशीन (1 अद्द)– रु0 1000/– 7. बुकिंग मशीन (1 अद्द)– रु0 2000/– 8. स्टीमर (1 अद्द)– रु0 6000/– 9. स्टीमर (1 अद्द)– रु0 50000/– 10. स्टीम पाइप लगाना– रु0 18000/– 11. पानी टंकी एवं पाइप– रु0 8000/–

इसके अतिरिक्त अग्र परियोजना केन्द्र का सुदृढ़ीकरण, कोया बैंक की स्थापना, लाभुक प्रशिक्षण, अध्ययन भ्रमण, कार्यशाला, सेमिनार, कृषक गोष्ठी एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

लाभुकों का चयन – जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जाएगी।

सम्पर्क पदाधिकारी – इच्छुक व्यक्ति रेशम के स्थानीय पदाधिकारी(अग्र परियोजना पदाधिकारी, इनारावरण, कटोरिया एवं श्यामबाजार,बांका/गंगटामोड, मुंगेर/कौआकोल नवादा/कैमूर/संबंधित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक/सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), भागलपुर/पटना/ वनों के क्षेत्र पदाधिकारी/वन प्रमंडल पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग,बिहार, पटना।